चीनी के निर्यात को प्रतिबंधित सूची में डालने का हुआ असर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: महंगाई पर मुस्तैदी दिखाते हुए सरकार के ताबड़तोड़ फैसले से घरेलू जिंस बाजार में प्रमुख खाद्य वस्तुओं के मूल्य में नरमी का रुख दिखाई देने लगा है। वैश्विक स्तर पर जिंस बाजार की स्थिति की समीक्षा करने के बाद सरकार ने पहले गेहूं निर्यात को प्रतिबंधित सूची में डाला और अब चीनी निर्यात को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है। इसका तात्कालिक असर घरेलू जिंस बाजारों में दिखने लगा है। दूसरी ओर महंगे आयातित खाद्य तेल सूरजमुखी और सोयाबीन को पूर्णतः शुल्क मुक्त कर दिया गया है।

केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने चीनी निर्यात को नियंत्रित करने के फैसले के बारे में सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि घरेलू बाजार में चीनी का पर्याप्त स्टाक है, जिससे चीनी के महंगी होने का कोई औचित्य नहीं है।

फिर भी बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए निर्यात पर निगरानी रखने के लिए यह फैसला किया गया है।

- खाद्य सचिव ने प्रमुख खाद्य वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता का दिया ब्योरा
- मात्रात्मक प्रतिबंध के साथ खाद्य तेलों के आयात को शुल्क मुक्त की अनुमति

इस सीजन 90 लाख टन चीनी निर्यात के हो चुके हैं सौदे

चालू सीजन के शुरू होने के समय चीनी का ओपनिंग स्टाक 85 लाख टन था।

इस तरह कुल 440 लाख टन का स्टाक है। चीनी की घरेलू खपत के लिए 278 लाख टन की जरूरत होगी। पूरे सीजन में 100 लाख टन निर्यात का अनुमान है। निर्यात के हिसाब से अब तक कुल 90 लाख टन चीनी निर्यात के सौदे हो चुके हैं। बाकी 10 लाख टन का भी निर्यात हो सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार से अनुमति जरूरी होगी।

पांडेय ने चीनी की मांग और उपलब्धता का ब्यौरा देते हुए बताया कि चालू पेराई सीजन में कुल 355 लाख टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है, जबकि 35 लाख टन चीनी बनाने की जगह गन्ने से एथनाल का उत्पादन किया गया।

खाद्य तेलों में सात रुपये प्रति किलो तक की गिरावट

शुल्क मुक्त आयात के फैसले के साथ ही खाद्य तेल बाजार में कीमतों में

गिरावट का रुख शुरू हो गया है। खाद्य सचिव पांडेय ने जोर देकर कहा कि खाद्य तेलों के आयात पर इंडोनेशिया की सहमति के बाद घरेलू बाजार में कीमतें नीचे आई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पांच से सात रुपये प्रति किलो की गिरावट देखी गई है। सरकार ने सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क और एग्री इंफ्रा फंड सेस समेत सभी तरह के शुल्क को हटाने का फैसला किया है। सूरजमुखी और सोयाबीन तेल का 20-20 लाख टन आयात ही शुल्क मुक्त किया जा सकेगा जिसे अगले दो सालों तक किया जाएगा।